प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक-28.10.2024

थाना शक्तिनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बिहार, उ0प्र0 व अन्य राज्यों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह को 60 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल (अनुमानित कीमत 12 लाख) के साथ 05 नफर अन्तर्राज्यीय अभियुक्तगण गिरफ्तार व 01 नफर बाल अपचारी को लिया गया पुलिस हिरासत में-

प्रकरण- आवेदक भोकलो दास पुत्र स्व0 पिताम्बर दास निवासी ए-115 बीना कालोनी, थाना शक्तिनगर, सोनभद्र व हीरा लाल गुप्ता पुत्र श्री यमुना राम निवासी बी-3 बीना कालोनी, थाना शक्तिनगर, सोनभद्र द्वारा थाना शक्तिनगर पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक-24.10.2024 को सांयकाल 05.40 बजे अज्ञात 04 लड़के ने बीना मार्केट में झपट्टा मारकर मोबाइल लेकर चले गये। उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना शक्तिनगर पर मु0अ0सं0-140/2024 धारा 304 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कालू सिंह के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पिपरी के नेतृत्व में जनपद में अपराध पर प्रभावी रोकथाम लगाने एवं उनमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.10.2024 थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा जयन्त मार्ग पर उर्जा द्वार तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की जा रही थी कि थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि सण्डे मार्केट में कुछ अजनबी लड़कों द्वारा मार्केट में भीड़-भाड़ देखकर मोबाइल चोरी करने के फिराक में है, उक्त सूचना पर सण्डे मार्केट शक्तिनगर से शक्तिनगर पुलिस द्वारा झपट्टा मार (चोरी करने वाले) मोबाइल गिरोह के 05 नफर अन्तर्राज्यीय अभियुक्तगण एवं 01 बाल अपचारी के कब्जे से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के 60 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की धारा में 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग वर्तमान समय में डिबुलगंज अनपरा में किराये पर रुम लेकर रह रहे है। हम सब लोग फेरी करके कपड़ा बेचने के बहाने उत्तरप्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों में जाकर किराये पर रुम लेकर उस क्षेत्र के भीड़-भीड़ वाले स्थानों या आस-पास के बाजारों में जाकर लोगों की मोबाइलों को चोरी करके बिहार व बंगाल में बेचकर अच्छे पैसा पाते थे और मिले पैसे को हम सब आपस में बाट लेते थे। हम लोग अक्सर 4 से 6 माह में मोबाइल चोरी का काम करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण के निशानदेही पर अनपरा के किराये के रुम से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के 60 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. कुन्दन कुमार महतो पुत्र कुलेश महतो निवासी ग्राम तीन पहाड़ थाम तीन पहाड़ जनपद साहेबगंज (झारखण्ड) उम्र लगभग 36 वर्ष।
2. गौतम कुमार महतो पुत्र आनन्द प्रसाद महतो निवासी ग्राम तीन पहाड़ थाम तीन पहाड़ जनपद साहेबगंज (झारखण्ड) उम्र लगभग 39 वर्ष।
3. अर्जुन मण्डल पुत्र राकेश मण्डल निवासी बास केला थाना तेलझाड़ी जनपद साहेबगंज (झारखण्ड) उम्र लगभग 18 वर्ष।
4. गोविन्द कुमार महतो पुत्र स्व0 लक्ष्मी प्रसाद महतो निवासी ग्राम तीन पहाड़ थाम तीन पहाड़ जनपद साहेबगंज (झारखण्ड) उम्र लगभग 25 वर्ष।
5. गोगा नोनिया पुत्र बेचन नोनिया निवासी ग्राम तीन पहाड़ थाम तीन पहाड़ जनपद साहेबगंज (झारखण्ड) उम्र लगभग 42 वर्ष।

6- एक नफर बाल अपचारी।

गौतम कुमार महतो का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-570/2017 धारा 379 भादवि, थाना गांधी मैदान, पटना, बिहार।
2. मु0अ0सं0-68/2021 धारा 414, 34 भादवि, थाना साहेबगंज, झारखण्ड।
3. मु0अ0सं0-13/2018 धारा 341, 323, 379, 504, 506, 42, 337, 34 भादवि थाना जोगता, झारखण्ड।
4. मु0अ0सं0-334/2020 धारा 411, 413, 420, 468, 474 भादवि थाना कैण्ट, प्रयागराज, उ0प्र0।
5. मु0अ0सं0-335/2020 धारा 3, 188, 269, 270 भादवि व एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 थाना कैण्ट, प्रयागराज, उ0प्र0।
6. मु0अ0सं0-187/2020 धारा 392, 411 भादवि थाना कैण्ट, प्रयागराज, उ0प्र0।

कुन्दन कुमार महतो का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-645/2019 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट, गोरखपुर, उ0प्र0।
2. मु0अ0सं0-02/2020 धारा 392, 411 भादवि, थाना रामगढ़ ताल, गोरखपुर, उ0प्र0।
3. मु0अ0सं0- 23/2019 धारा 392 भादवि, थाना रामगढ़ ताल, गोरखपुर, उ0प्र0।
4. मु0अ0सं0-03/2020 घारा 41, 411, 413 भादवि, थाना रामगढ़ ताल, गोरखपुर, उ0प्र0।

गणेश उर्फ गोगा नोनिया का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-526/2024 धारा 34, 379 भादवि, थाना भारती विद्यापीठ, पुणे सिटी, महाराष्ट्र।
2. मु0अ0सं0-616/2024 धारा 310(4) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पुणे, रेलवे पुणे, महाराष्ट्र।

अर्जुन कुमार मण्डल का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-348/2019 धारा 379 भादवि थाना दुर्गापुर, महाराष्ट्र।

बरामदगी का विवरण-

1.विवो कम्पनी की 25 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।
2. ओप्पो कम्पनी की 08 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।
3.सैमसंग कम्पनी की 07 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।
4.रियल मी कम्पनी की 05 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।
5.वन प्लस कम्पनी की 04 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।
6.रेडमी कम्पनी की 03 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।
7. पोको कम्पनी की 03 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।
8. नारजो कम्पनी की 02 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।
9. आई फोन -01 अदद, लावा-01 अदद, मोटो जी-01 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।

बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री कुमुद शेखर सिंह, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र।
2.उ0नि0 संजय कुमार सिंह, चौकी प्रभारी बीना, थाना शक्तिनगर, सोनभद्र।
3.हे0का0 माघवेन्द्र सिंह, का0 दिनेश कुमार यादव, का0 सौरभ यादव, का मुकेश सोनकर थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र।